








ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

जियो मनरेगा

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का जी आई एस कार्यान्वयन)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार http://mord.geomgnrega.in/ team@geomgnrega.in







ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

जियो मनरेगा

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का जी आई एस कार्यान्वयन)

> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू)

> > ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

http://mord.geomgnrega.in/team@geomgnrega.in

जियो मनरेगा परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना है तथा उन ग्रामीण परिवारों के प्रौढ़ सदस्यों को जो अपनी इच्छा से अकुशल कार्य करना चाहते हैं 100 दिवस का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है जो निर्धनता से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों को मदद करने हेतु मजदूरी रोजगार और महात्मा गांधी नरेगा कई योजनाओं को प्रयोजित कर रहा हैं ।

महात्मा गांधी नरेगा संपत्तियों (जलागम स्थल, कृषि जलाशय, पुन: स्रोत जलाशय, चेक डैम, रोड, लेयर, सिंचाई चैनेल्स इत्यादि) को संकलित करने भंडारण और विश्लेषण करने हेतु दूर संवेदी (आरएस) एवं भौगोलिक सूचना व्यवस्था (जीआईएस) तकनॉलोजी एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है संपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में जी आई एस का उपयोग करते हुए संपत्तियों के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को समझना तथा आस्तियों का प्रभावी प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है । सभी संपत्तियों में स्थानिक स्थल एक मुख्य आम पहलू है भावी कार्य और उचित निर्णय लेने हेतु सूचना के साथ मनरेगा के अंतर्गत सभी आस्तियों का जी आई एस मानचित्रण कर सकता है ।

महात्मा गांधी नरेगा जी आई एस सोल्युशन का नाम 'जियो मनरेगा' दिया गया है जिसका उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण भारत में संपित सूचना व्यवस्था के लिए एकल एवं एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करना है । जियो मनरेगा की शुरुआत 1 सितम्बर, 2016 को हुई । इनमें मोबाईल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए महात्मा गांधी नरेगा संपूरित संपित्तयों का फोटो जियो टैंगिंग करना शामिल है । तकनॉलोजी समर्थन प्रदान करते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र, भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । एन आर एस सी ने मोबाईल अनुप्रयोग एवं महात्मा गांधी नरेगा आस्तियों को प्रदर्शित करने हेतु वेब पोर्टल को विकसित किया है । जियो मनरेगा भुवन पोर्टल (ई-शासन) एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है तथा स्थानीय डाटा समुदाय में विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों से स्टेकहोल्डरों के बीच भू-स्थानिक डाटा को शेयिरेंग और समन्वित करने की सुविधा को सरल बनाता है । इससे संबंधित उपयोगकर्ताओं को भू-स्थानिक डाटा को खोजने, स्थल का पता लगाने एवं प्रकाशित करने में मदद करता है तथा (समुचित लॉग-इन प्राधिकार सिहत) विविध उपयोगकर्ता समूह की आवश्यकताओं को सरल बनाता है । जी आई एस समर्थित पोर्टल आयोजनाकर्ताओं, निर्णयकर्ताओं और पिल्लिक के लिए भू-स्थानिक डाटा के उपयोग में सुधार, पोर्टल रखरखाव प्रक्रिया, भंडारण और संवितरण का कार्य करता है ।

अस्वीकरण

सितम्बर - नवम्बर, 2016 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्षेत्र स्तर के सभी पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्य को प्रारंभ किया है । इस 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' में मोबाईल और वेब एप्लिकेशन के दैनंदिन उपयोग के विभिन्न मुद्दों, प्रश्नों और उनके समाधान को अंकित किया गया है । व्यापक रूप से इस एफ ए क्यू में विभिन्न क्षेत्र कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को दर्शाया गया है ।

मोबाईल एप्लिकेशन का उपयोग बड़ा सरल है तथा इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझायी गई नई आवश्यकताओं का समावेश करते हुए इसे निरंतर अपग्रेड किया जा रहा है ।

फिर भी कृपया नोट करें कि इस प्रकाशन की विषय वस्तु मात्र सूचना के लिए है और जियो मनरेगा के क्षेत्र कार्यकर्ताओं को सरलता और शीघ्रता से सूचना उपलब्ध कराता है। यद्यपि सटिक और अद्यतन सूचना प्रदान करने हेतु प्रयास किए गए है तथा किसी भूल-चुक के लिए क्षमाप्रार्थी हैं।

इस पुस्तक में निहित सूचना को 17 नवंबर, 2016 तक अद्यतन किया गया हैं। एफ ए क्यू को कार्यान्वयन और भावी आवश्यकताओं के साथ अनुभव को देखते हुए नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। अद्यतन जानकारी के लिए यह सलाह दी गई है कि उपयोगकर्ता जियो - मनरेगा के समर्पित पोर्टल http://mord.geomgnrega.in/. का संदर्भ ग्रहण करें। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए तथा इस प्रकाशन पर किसी टिप्पणियों को शेयर करने के लिए कृपया team@geomgnrega.in पर हमसे संपर्क करें।


अनुक्रमणिका

- 1. जियो मनरेगा किस कहते है ?
- 2. जियो मनरेगा के उद्देश्य कौन कौनसे हैं ?
- 3. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 'संपत्ति' किसे कहते हैं ?
- 4. प्राथमिक पहचान संख्या (आई डी) किसे कहते हैं ?
- 5. प्राथमिक संपत्ति किसे कहते है ?
- 6. सम्बद्ध संपत्ति किसे कहते है ?
- 7. प्राथामिक संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) किसे कहते हैं ?
- 8. सम्बद्ध संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) किसे कहते हैं ?
- 9. प्राथमिक और सम्बद्ध संपत्ति पहचान संख्या के बीच किस प्रकार का संबंध है ?
- 10. सावधि संपत्ति पंजी (एफ ए आर) किसे कहते हैं ?
- 11. संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) का सृजन कौन कर सकता है ?
- 12. संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) का सृजन मैं कैसे कर सकता हूँ ?
- 13. जियो मनरेगा के कार्यान्वयन से पूर्व संपूरित कार्यों के लिए संपत्ति की पहचान संख्या (आई डी)में कैसे सृजन कर सकता हूँ ?
- 14. जब एक कार्य एक से अधिक संपत्ति में दिखाई पड़ता है तब बहु संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) का सृजन मैं कैसे कर सकता हूँ ?
- 15. नियत संपत्ति रजिस्टर (एफ ए आर) एवं जियो मनरेगा के बीच कौनसा लिंक है ?
- 16. क्या नियत संपत्ति पंजिका (एफ ए आर) को बनाए रखना अनिवार्य है ?
- 17. नियत पंजिका का फार्मेट (एफ ए आर) किसे कहते हैं ?
- 18. फ्लैंग्ड् संपत्ति किसे कहते हैं ?
- 19. नरेगा सॉफ्ट में प्लैंग्ड् संपत्ति का संशोधन कैसे करें ?
- 20. एक कार्य से क्या मैं एक से अधिक संपत्तियों का मुजन कर सकता हूँ ?
- 21. भुवन जियो मनरेगा पोर्टल किसे कहते हैं ?
- 22. जियो मनरेगा पर नवीनतम सांख्यिकीय रिपोर्ट को मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूँ ?
- 23. राज्य स्तर पर उपलब्ध विभिन्न भ्वन एम आई एस रिपोर्टे कौन कौनसी हैं ?
- 24. खंड स्तर पर उपलब्ध विभिन्न भुवन एम आई एस रिपोर्टे कौन कौनसी है ?
- 25. जिला स्तर पर उपलब्ध विभिन्न भुवन एम आई एस रिपोर्टे कौन कौनसी हैं ?
- 26. अप्राधिकृत उपयोगकर्ता किसे कहते हैं ?
- 27. एस जी एन ओ कौन है ?
- 28. डी जी एन ओ कौन है ?
- 29. जी ए एस कौन हैं?
- 30. एम एस ई कौन है ?
- 31. जियो मनरेगा मोबाईल एप्लिकेशन को मैं कहां से इंस्टॉल कर सकता हूँ ?
- 32. क्या जियो मनरेगा एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध हैं ?
- 33. ऐप्पल और विंडोज उपकरणों के लिए क्या मोबाईल ऐप उपलब्ध हैं ?
- 34. एंड्रायड उपकरण के लिए कौनसे न्यूनतम विशिष्टीकरण की आवश्यकता है ?
- 35. मेरे मोबाईल में अपर्याप्त भंडारण हो तो क्या करना चाहिए ?
- 36. यदि मुझे अपना मोबाईल बदलना पड़े तो क्या करना चाहिए ?

- 37. यदि मेरा मोबाइल गुम या चोरी हो गया तो क्या करना चाहिए ?
- 38. क्या मैं 3 जी रहित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता हूँ ?
- 39. क्या 2जी / 3जी / 4जी न होने पर मोबाईल एप्लिकेशन कार्य कर सकता हँ ?
- 40. राज्य जी आई एस नोडल अधिकारी (एस जी एन ओ) का पंजीयन / अनुमोदन कैसे करें ?
- 41. जिला जी आई एस नोडल अधिकारी (डी जी एन ओ) पंजीयन / अनुमोदन कैसे करें ?
- 42. जी आई एस संपत्ति पर्यवेक्षक का पंजीकरण / आवेदन कैसे करें ?
- 43. एम एस ई को कैसे पंजीकृत किया जा सकता हैं ?
- 44. पंजीकरण को निरस्त करना से क्या तात्पर्य हैं ?
- 45. क्या मोबाइल स्थल से एम एस ई का पंजीयन किया जा सकता हैं ?
- 46. एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए उसी एम एस ई को कैसे पंजीकृत किया जा सकता हैं ?
- 47. क्या एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक एम एस ई को पंजीकरण किया जा सकता हैं ?
- 48. पंजीकृत एम एस ई को कौन हटा या निष्क्रिय कर सकता हैं?
- 49. एम एस ई के आबंटित ग्राम पंचायत को कौन बदल सकता हैं ?
- 50. स्थानांतरण के बाद भी क्या मैं जियो मनरेगा मोबाईल एप्लिकेशन को बनाये रख सकता हुँ ?
- 51. मोबाईल ऐप के ड्रॉप डाऊन मेन् में सभी संपत्तियों को कैसे प्रदर्शित किया जाए ?
- 52. एक संपत्ति के लिए क्या में एक से अधिक चित्रों को खींच सकता हूँ ?
- 53. जी पी एस एक्युरेसी के लिए क्या आवश्यक हैं ?
- 54. जी पी एस को लॉक करने के बाद मैं चित्रों को कितनी दूर तक चित्रित कर सकता हूँ ?
- 55. एक से अधिक तरीके कौनसे हैं जिसमें संपत्ति को जियो टैग्ड और अपलोड किया जा सकता हैं ?
- 56. क्या जियो टैगिंग के लिए में एक ही समय में दो मोबाईल का उपयोग कर सकता हूँ ?
- 57. यदि मुझे 'प्लीज वेटजी पी एस फेचिंग लैट लोन' एलर्ट प्राप्त हो तो मुझे क्या करना चाहिए ?
- 58. डाटा को अपलोडिंग करते समय यदि संचार में खराबी हो तो क्या होगा ?
- 59. 'रीसेट कनिफगरेशन' के विकल्प कौन कौनसे हैं?
- 60. यदि दो एम एस ई जियो टैंग में एक जैसी संपत्ति हो तो इससे क्या होगा ?
- 61. क्या जी ए एस (गैस), मोबाईल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता हैं ?
- 62. क्या मोबाईल एप्लिकेशन से मैं संपत्तियों की विस्तृत जानकारी को बदल सकता हँ ?
- 63. जियो मनरेगा के अंतर्गत संपत्ति की जानकारी कौनसी भाषा में होती हैं ?
- 64. मोबाईल एप्लिकेशन में शिनाख्त किए गए संपत्ति की विस्तृत जानकारी के लिए कौनसा डाटा उपलब्ध हैं ?
- 65. यदि नरेगा सॉफ्ट में संपत्ति पहचान सृजित की गयी हो परन्तु मोबाईल एप्लिकेशन में यह उपलब्ध न हो तो मुझे क्या करना चाहिए ?
- 66. जियो टैग को कौन मॉडरेट कर सकता हैं?
- 67. जियो टैग्ड संपत्ति को कैसे मान्य या आध्निक बना सकता हैं ?
- 68. यदि एम एस ई द्वारा गलत संपत्ति का चयन किया गया हो तो क्या करना चाहिए ?
- 69. 'संपत्ति को रद्द करना' से क्या तात्पर्य हैं ?
- 70. जियो टैंग्ड संपत्ति को कैसे रद्द करें ?
- 71. मैं अपने मोबाईल ऐप पर कुछ समस्याओं का सामना कर रहा हुँ । इन संदेहो को लेकर मैं कहां जा सकता हुँ ?
- 72. समर्थन डेस्क से प्राप्त टिकट नंबर का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता हैं ?
- 73. मेरे पास भुवन पंजीकरण हैं । क्या मुझे mord.geomgnrega.in पोर्टल में पृथक रूप से पंजीकरण करने की आवश्यकता हैं ?
- 74. समर्थन डेस्क से प्राप्त उत्तर से यदि मेरी समस्या का समाधान न हो तो मुझे क्या करना चाहिए ?

1. जियो - मनरेगा किसे कहते हैं ?

उत्तर: जियो मनरेगा एक सॉफ्टवेयर सोल्युशन है जो अंतिरक्ष तकनॉलोजी का उपयोग करते हुए महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के अंतर्गत सृजित सभी पूर्ण संपत्तियों का फोटो जियो टैंग करता है तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु पब्लिक क्षेत्र में मजदूरी और सामग्री की विस्तृत जानकारी को एकीकृत करता है ।




2. जियो मनरेगा के उद्देश्य कौन - कौनसे हैं ?

उत्तर: जियो मनरेगा का उद्देश्य मनरेगा के अंतर्गत सृजित आस्तियों के डाटा की परिकल्पना, विश्लेषण एवं खोज करना करने हेतु भौगोलिक सूचना व्यवस्था (जी आई एस) सोल्युशन को सृजित करना है। यह आवश्यक रूप से संपूर्ण भारत वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत सृजित संपत्ति को मानचित्र पर चित्रित करता हैं। जियो मनरेगा 'भुवन' सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म को कई गुणा बढ़ा देता है और इसे इसरो के राष्ट्रीय दूरसंवेदी केन्द्र (एन आर एस सी) द्वारा विकसित किया गया हैं। संपत्ति के डाटा को ग्रामीण विकास मंत्रालय के नरेगा सॉफ्ट एप्लिकेशन से किया गया हैं। नरेगा सॉफ्ट और भुवन की विशिष्ट क्षमताओं को भू-स्थानिक संपत्ति प्रबंधन एवं योजना टूल में समाहित कर इसे जियो मनरेगा का नाम दिया गया है।

3. महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 'संपत्ति' किसे कहते हैं ?

उत्तर: महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत संपत्ति प्रारंभ किए गए कार्य और समाप्त कार्य का निष्कर्ष हैं संपत्ति की भौतिक सीमा होती हैं और उसकी विशिष्ट पहचान की जा सकती हैं। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित संपत्ति का एक विशिष्ट पहचान है तथा एक या एक से अधिक कार्यों के साथ पहचान की जा सकती हैं।



4. कार्य पहचान संख्या (आई डी) किसे कहते हैं ?

उत्तर: कार्य पहचान संख्या (आई डी) एक कार्य की विशिष्ट पहचान है जिसे नरेगा सॉफ्ट में सृजित किया गया हैं। यह एक सिस्टम है जिसमें एक विशिष्ट नंबर को सृजित किया गया हैं और नरेगा सॉफ्ट में सृजित कार्य के समय सृजित किया जाता हैं।

5. प्राथमिक संपत्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर: 'प्राथिमक संपत्ति' वह संपत्ति है जो भौतिक रूप में संपत्ति की शिनाख्त करता है तथा विशिष्ट तौर पर सृजित होता हैं। प्रत्येक प्राथिमक संपत्ति में एक विशिष्ट शिनाख्तयोग्य नंबर (यू आई एन) होता है तथा सभी रूपों में जैसे - रजिस्टर्स, नरेगासॉफ्ट, जी आई एस सर्वर इत्यादि खोज से पता चल जाता है।

6. सम्बद्ध संपत्ति किसे कहते हैं ?

उत्तरः भैतिक रूप में सम्बद्ध संपत्ति की स्वयं अपनी कोई पहचान नहीं होती हैं। ये वे संपत्तियां है जो प्राथमिक संपत्ति का भाग होती हैं। सम्बद्ध संपत्ति या तो प्राथमिक संपत्ति में जोडी गई होती है या प्राथमिक संपत्ति से मिली हुई संपत्ति होती है।

7. प्राथमिक संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) किसे कहते हैं ?

उत्तर: महात्मा गांधी नरेगा में प्रारंभ किया गया प्रत्येक कार्य या तो प्राथमिक रूप में सृजित कार्य होता है या सम्बद्ध संपत्ति होती हैं। जब संपूरित कार्य नई संपत्ति का सृजन करता है अर्थात प्राथमिक संपत्ति, इसमें पहचान (आई डी) का सृजन होता है इसे प्राथामिक संपत्ति आई डी (पहचान संख्या) कहा जाएगा। यह प्राथमिक संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) तत्पश्चात प्राथमिक संपत्ति का विशिष्ट पहचानयोग्य नंबर (यू आई एन) के रूप में कार्य करेगा।

8. सम्बद्ध संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) किसे कहते हैं ?

उत्तर: कोई भी संपूरित कार्य जो सम्बद्ध संपत्ति का सृजन करता है उसे सम्बद्ध संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) दी जाएगी । इस प्रकार मनरेगा के अंतर्गत संपूरित प्रत्येक कार्य या तो प्राथमिक संपत्ति पहचान (आई डी) या सम्बद्ध संपत्ति पहचान (आई डी) होगा ।

9. प्राथमिक और सम्बद्ध संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) के बीच कौनसा सम्बन्ध है ?

उत्तर: यहां कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहां पहले से ही स्थित संपत्तियों पर कार्यों को निष्पादित किया जाता है ऐसे उदाहरणों में मूल रूप से स्थित संपत्ति को 'प्राथमिक संपत्ति' के रूप में माना गया हैं। 'प्राथमिक संपत्ति' पर तत्पश्चात कार्यों के फलस्परूप 'सम्बद्ध संपत्ति' का सृजन होगा। 'प्राथमिक संपत्ति' में हमेशा एक विशिष्ट पहचान संख्या (आई डी) होगी। 'सम्बद्ध संपत्ति' कभी भी अपने स्वयं की संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) सृजन नहीं करेगी परन्तु प्राथमिक संपत्ति पहचान (आई डी) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया हैं। 'सम्बद्ध संपत्ति' हमेशा ही पूर्व से ही स्थित 'प्राथमिक संपत्ति' का भाग होती है।

प्राथमिक संपत्ति



सम्बद्ध संपत्ति



10. नियत संपत्ति पंजिका (एफ ए आर) किसे कहते हैं ?

उत्तरः महात्मा गांधी नरेगा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित पूर्व संपत्ति पंजिका के स्थान पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरलीकृत संपत्ति पंजिका को अधिसूचित किया हैं । नई संपत्ति पंजिका जिसे नियत संपत्ति पंजिका (एफ ए आर) कहा जाता है जो रिकार्ड का भौतिक रूप है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित सभी संपत्तियों की स्पष्ट शिनाख्त की गई हैं । इसे तालमेल के माध्यम से या अधिनियम की अनुसूची - 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न स्वीकार्य कार्यों को प्रारंभ करते हुए किया जाता है । इस रजिस्टर से संपत्ति पर सूचना सिंहत उसका विवरण, दिनांक, स्थान, तालमेल योजना एवं निष्पादित कार्यों पर तत्काल सूचना प्राप्त होती है । इस नये रजिस्टर में प्रविष्टि समय से संपत्ति का पूरे जीवन भर के लेखा जोखा में हुए परिवर्तनों को दर्शाता हैं तथा तत्पश्चात विकास की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा इसे खोजा जा सकता है । स्थायी संपत्ति का सृजन एवं ग्रामीण गरीब को आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है । किसी योजना / कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित स्थायी संपत्ति के पंजीकरण में नियत संपत्ति पंजिका के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता । सृजित मूल्यवान संपत्ति जहां संपत्ति के लिए कोई सुनियोजित ढंग से पंजिका नहीं है, हम सृजित मूल्यवान संपत्ति को अनदेखा कर देते है । पूर्णकालिक संपत्ति रजिस्टर का सृजन करते हुए लाभों की सूची को प्राप्त कर सकते हैं । एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें भावी योजना के लिए एक पैनी दृष्टि प्रदान करता हैं । दूसरी बात यह है कि आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता है जो यह दर्शाता हैं कि हमारे संसाधनों पर भौतिक नियंत्रण नहीं हैं । अब, बात यह होती है कि यदि कोई लिखित अभिलेख नहीं हो तो कोई व्यक्ति कार्यान्वयन नियंत्रण उपायों के बारे

कैसे जान सकता है ? अंतत: अद्यतन नियत संपत्ति पंजिका ही लेखापरीखा साक्ष्य का काम करेगी जो किसी भी निरीक्षण प्राधिकार के लिए आवश्यक हैं तथा किसी महात्मा गांधी नरेगा कार्यों की विश्वसनीयता पर अपनी राय दे सकता है।

11. संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) कौन सृजित कर सकता है ?

उत्तर: संपत्ति आई डी संख्या को ग्राम पंचायत (जी पी) कार्यक्रम अधिकारी (पी ओ), खंड पंचायत (बी पी), जिला पंचायत (जेड पी) एवं अन्य कार्यान्वयन एजेन्सी मात्र नरेगासॉफ्ट के डाटा एंट्री माड्यूल के अंतर्गत सृजित किया जा सकता है । संपत्ति आई डी अत्यन्त महत्वपूर्ण नंबर है जो भौतिक रूप में संपत्ति की शिनाख्त करता है ।

12. संपत्ति पहचान संख्या (आई डी) का सृजन मैं कैसे कर सकता हूँ ?

उत्तर: संपत्ति आई डी एक विशिष्ट संख्या है जिसे नरेगा सॉफ्ट द्वारा स्वचालित रूप से सृजित किया गया है । कार्य पूर्ण होने पर किसी भी स्तर के उपयोगकर्ता द्वारा संपत्ति आई डी सृजित की जा सकती हैं । उपयोगकर्ता जी पी, पी ओ, बी पी, जेड पी या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लेखे का उपयोग करते हुए लॉग-इन कर सकते हैं और कार्य की पूर्णता चिन्हित कर सकते हैं । प्राथिमक संपत्ति का सृजन करते हुए मात्र सिस्टम प्राथिमक संपत्ति आई डी का सृजन करता हैं । सम्बद्ध संपत्ति सृजन के मामले में (वर्तमान संपत्ति को लिंक करना) सिस्टम द्वारा प्राथिमक संपत्ति आई डी को प्रदर्शित होगी जिससे यह कार्य जुड़ा हुआ है ।

13. जियो मनरेगा के कार्यान्वयन से पूर्व संपूरित कार्यों के लिए मैं संपत्ति आई डी का सूजन कैसे कर सकता हूँ ?


उत्तरः जी हां, उपयोगकर्ता जी पी, पी ओ, बी पी, जेड़ पी या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के एकाउन्ट्स का उपयोग करते हुए लॉग इन कर सकता हैं और संपूरित कार्य को चिन्हित कर सकता हैं।

14. जब एक कार्य एक से अधिक संपत्ति में दिख पड़े तब मैं किस प्रकार बहु संपत्ति आई डी की सृजन कर सकता हूँ।

उत्तर: उपयोगकर्ता जी पी, पी ओ, बी पी, जेड़ पी या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के एकाउन्ट्स का उपयोग करते हुए लॉग-इन कर सकते हैं तथा कार्य संपूरित के साथ-साथ बहु संपत्तियों को चिन्हित कर सकते हैं। फिर भी यह विकल्प मात्र व्यक्तिगत श्रेणी तथा व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आई एच एच एल) के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए उपलब्ध है।

15. नियत संपत्ति रजिस्टर एफ ए आर और जियो मनरेगा के बीच कौन सा सम्बन्ध है ?

उत्तर: नियत संपत्ति पंजिका (एफ ए आर) और जियो मनरेगा के बीच समानतायें और उद्देश्य मिलते - जुलते हैं जियो मनरेगा में एफ ए आर एवं जी आई एस परिकल्पना से भौतिक अभिलेख में काफी समानतायें हैं।



16. क्या नियत संपत्ति पंजिका (एफ ए आर) का रखरखाव करना अनिवार्य हैं ?

उत्तर: जी हॉ, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियत संपत्ति रजिस्टार का रखरखाव करना अनिवार्य है ।


17. नियत संपत्ति रजिस्टर (एफ ए आर) का फार्मेट किसे कहते हैं ?

उत्तर: संपत्ति रजिस्टर के दो भाग हैं। भाग - ए में संपत्ति की जानकारी होती है तथा भाग - बी में संपत्तियों पर कार्य पूर्ण संबंधी विस्तृत जानकारी होती हैं। फार्मेट की डाटा संरचना जियो मनरेगा के समानांतर होती है। एफ ए आर का अद्यतन फार्मेट नरेगा साफ्ट पोर्टल में उपलब्ध है जो निम्न रूप में इस प्रकार है।

http://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/circulars/fixed_asset_register.pdf

18. फ्लैग्ड (शीर्ष) संपत्ति किसे कहते हैं ?

उत्तर: जियो मनरेगा के अंतर्गत संपूरित सभी कार्य या तो प्राथमिक संपत्ति का सृजन करते हैं या फिर वर्तमान संपत्ति से सम्बद्ध होते हैं । कार्य समाप्ति के दौरान यह संभावना हो सकती है कि प्राथमिक संपत्ति को गलती से सृजित किया गया है या सम्बद्ध संपत्ति गलती से वर्तमान संपत्ति में संलग्न हो गई हैं । ऐसे उदाहरणों के लिए कार्यों को फ्लैग करने के लिए जियो मनरेगा मोबाइल एप्लिकेशन और भुवन प्लेटफार्म में प्रावधान उपलब्ध कराया गया है । एक बार यदि कार्य / संपत्ति जो एम एस ई / जी ए एस पर उपलब्ध हो जाए तो इसे फ्लैग्ड के रूप में चिन्हित किया जाता है और सुधार हेतु भुवन से नरेगा सॉफ्ट के जी आई एस सर्वर से वापस भेजा जा सकता है ।




19. नरेगा सॉफ्ट में प्लैग्ड संपत्तियों को कैसे सुधारा जा सकता हैं ?

उत्तर: नरेगा सॉफ्ट में सुधार हेतु प्लैग्ड संपित्तयों को उपलब्ध कराया जाता है । एक संपित्त को फ्लैग किया जाता है जब संपित्त जानकारी (अर्थात् नाम या विवरण) या कार्यों को सही ढंग से सम्बद्ध नहीं किया गया हैं । 'वर्क क्लोजर' ऑप्शन के अंतर्गत 'एडिट फ्लैग्ड एसेट वर्क' को क्लिक करें जो डाटा एंट्री माड्यूल के अंतर्गत सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता हैं ।




चित्र 1: एडिट फ्लैंग्ड एसेट वर्क फार्म ओपन होगा



सारणी 1: क्षेत्र विवरण की जानकारी

| क्र. स | क्षेत्र का नाम | विवरण |
|--------|------------------------------------|---|
| 1. | चयनित संपत्ति प्रकार | उपयोगकर्ता को फ्लैंग्ड संपत्ति कार्य अर्थात् प्राथिमक या गौण संपत्ति का चयन करना होगा । |
| 2. | सर्च कार्य / संपत्ति आई डी | कार्य कोड या संपत्ति आई डी द्वारा कार्य सर्च हेतु सर्च ऑप्शन उपयोगकर्ता को चाहिए कि संपूर्ण कार्य कोड या संपूर्ण संपत्ति आई डी में एंटर करें । आंशिक सर्च की से नतीजा प्राप्त नहीं होगा । |
| 3. | चयनित कार्य कोड (संपत्ति आई डी) | फ्लैंग किए गए सभी कार्यों को नरेगा सॉफ्ट में भेजा जाता हैं तथा उपयोग कर्ता द्वारा चयनित मापदंड के अनुसार ड्रॉपडाऊन में उपलब्ध कराया जाता हैं। उपयोगकर्ता द्वारा जैसे ही कार्य कोड का चयन किया जाता है तो उस संबंधित स्थान में संगत सूचना और विसंगतता प्रदर्शित हो जाती है। |
| 4. | संपत्ति का नाम | यदि संपत्ति का प्रकार प्राथमिक हो तो : संपत्ति के नाम में संशोधन होगा । अन्यथा इसे पढ़ा जाएगा और इसमें कोई संशोधन नहीं होगा । |
| 5. | संपत्ति विवरण | उपयोगकर्ता संपत्ति विवरण का सम्पादन कर सकता है । यह प्राथमिक और गौण संपत्ति दोनों के लिए संशोधनीय हैं । फ्लैंग्ड कार्य एक बार अद्यतन हो जाए तो यह संशोधन के लिए उपलब्ध नहीं होगा तथा जियों टैंगिंग के लिए भुवन के साथ शेयर करने हेतु तैयार होगा । |
| 6. | फ्लैंग्ड कार्य सूची को देखना | चयनित पंचायत के सभी भेजे गए फ्लैग्ड कार्य और उसकी वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करने हेतु बटन पर क्लिक करें । |


चित्र 2: फ्लैग्ड कार्य सूची का परिदृश्य



20. क्या मैं एक कार्य से बहुत संपत्तियों का सृजन कर सकता हूँ ?

उत्तर: आई एच एच एल और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत सृजित कार्य को बहु संपत्तियों से जोड़ा जा सकता है। एक कार्य कोड के अंतर्गत बहु संपत्तियों के सृजन का विकल्प नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध है। इस हेतु ''क्रिएट मिल्टिपल असेट'' लिंक को क्लिक करें जो कार्य समाप्ति ऑप्शन में होता हैं। लिंक को क्लिक करने से निम्न स्क्रीन दिखाई पडेगा।

चित्र 1: बहु संपत्ति फार्म का सृजन



सारणी 1: बहु संपत्ति फार्म के सृजन में क्षेत्र जानकारी

| | सारणी 1 : बहु संपत्ति फार्म के सृजन में क्षेत्र जानकारी | | | |
|--------|---|---|--|--|
| क्र. स | क्षेत्र का नाम | विवरण | | |
| 1. | सर्च कार्य | कार्य कोड द्वारा कार्य सर्च के प्रति सर्च ऑप्शन उपयोगकर्ता को संपूर्ण कार्य कोड़ को प्रविष्ट करना होता है । आंशिक सर्च की के द्वारा परिणाम नहीं मिलेंगे । | | |
| 2. | कार्य कोड का चयन (संपत्ति आई डी) | उपयोगकर्ता को चाहिए कि वह ड्रॉपडाऊन से कार्य कोड का चयन करें। जैसे ही उपयोगकर्ता कार्य कोड़ का चयन करता है सभी कार्य प्रकार एवं जॉब कार्ड संख्या प्रदर्शित हो जाएगी। | | |
| 3. | कार्य प्रकार | कार्य प्रकार में 'रीड - ओनली' प्रदर्शित होगा । नरेगा सॉफ्ट में कार्य सृजन के दौरान कार्य प्रकार को प्राप्त किया जाता है । कार्य समाप्ति से पूर्व प्रविष्ट संपत्ति यादृच्छिक होगी । | | |
| 4. | जॉब कार्ड संख्या | लाभभोगी की जॉब कार्ड संख्या | | |
| 5. | चयनित संपत्ति प्रकार | प्रत्येक कार्य प्रकार के लिए उपयोगकर्ता को संपत्ति प्रकार का चयन करना होगा । | | |
| 6. | नई संपत्ति | 'नई संपत्ति' रेडियो बटन का चयन करें मनरेगा के अंतर्गत इस कार्य को प्राथमिक संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है । सेव बटन दबाते ही नई संपत्ति का सृजन होगा । | | |
| 7. | वर्तमान संपत्ति | इसके अंतर्गत कार्य को किसी भी वर्तमान प्राथमिक संपत्ति के भाग के रूप में माना जाएगा तथा प्राथमिक संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा । उपयोगकर्ता जैसे ही ''वर्तमान संपत्ति'' का चयन करता है तो ब्लॉक में स्थित उनकी आई डी और प्राथमिक संपत्ति की सूची ड्रॉपड़ाऊन में उपलब्ध होगी एवं उपयोगकर्ता सूची से प्राथमिक संपत्ति का चयन करेगा । द्वितीय संपत्ति के लिए कोई नई संपत्ति आई डी सृजित नहीं होगी । | | |
| 8. | | सभी क्षेत्र अधिदेशात्मक हैं । | | |

एक संपूरित कार्य से बहु संपत्ति के सृजन हेतु एन आई सी को सूचित प्रचालन पद्धति

- 1. फार्म संपूर्णता के दौरान (कार्य समाप्ति संपूर्ण / संपूरित कार्यों के लिए संपत्ति आई डी का सृजन) अंतिम पेज में ड्रापडाऊन दर्शाएगा जिसमें सृजित किए जाने वाले संपत्ति की संख्या की मांग की जाएगी । वर्तमान संपूरित कार्य के मामले में समानांतर फार्म दिए जाऐंगे ।
- 2. अगले पृष्ट में कतारों के संगत ग्रुप को ओपन करेगा जो पूर्व पृष्ट में अनुरोध की गई संपत्ति आई डी की संख्या को सूचित करेगा। कतार के प्रत्येक ग्रुप में आवश्यक रूप से फील्ड होंगे: 'नई / वर्तमान संपत्ति रेडियो' 'संपत्ति नाम' एवं विवरण एवं वर्तमान संपत्ति की सूची आदि ड्रॉपडाऊन के रूप में होंगे (वर्तमान संपत्ति के चयन के मामले में) फार्म के किसी भी भाग में पूर्व में की गई प्रविष्टि के आधार पर सृजित किए जाने वाले संपत्तियों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।
- 3. चरण 1 एवं 2 दोनो ही 'कार्य समाप्ति संपूरित / संपूरित कार्यों के लिए संपत्ति आई डी का सृजन माड्यूल का समन्वित भाग होना चाहिए और जब तक चरण 1- 2 पूर्ण नहीं हो जाते उपयोग कर्ता को 'कार्य समाप्त संपूरित / संपूरित कार्यों के लिए संपत्ति आई डी का सृजन' पर सबिमट / फीनिश की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए ।

21. भूवन जियो मनरेगा पोर्टल किसे कहते हैं ?

उत्तर: यह एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जो http://bhuvan.nrsc.gov.in/governance/ mgnrega पर स्थित होता हैं तथा जियो टैंग्ड स्थान पर उपयोगकर्ता को देखने की अनुमित होती हैं। आगे पब्लिक को दिखाने से पूर्व संकलित जियो टैंग्ड संपित्त के उपयोग हेतु प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं को भी अनुमित प्रदान करता है तथा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में जियो टैंग्ड संपित्त के संक्षिप्त जानकारी को प्राप्त करता हैं।

22. जियो मनरेगा पर नवीनतम सांख्यिकी रिपोर्ट को मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूँ ?

उत्तरः केन्द्रीय / एस जी एन ओ / डी जी एन ओ / जी ए एस उपयोगकर्ता द्वारा http://bhuvan.nrsc.gov.in/governance/mgnrega में लॉग-इन करते हुए तथा सांख्यिकी बटन पर क्लिक करते हुए सांख्यिकी को प्राप्त किया जा सकता हैं।

23. राज्य स्तर पर उपलब्ध विभिन्न भुवन एम आई एस रिपोर्टे कौन - कौनसी हैं ?

उत्तर: राज्य स्तर पर उपयोगकर्ता जिला कार्यनिष्पादन के संबंध में कुल, टू बी मॉडरेटेड, मॉडरेट, स्वीकृत, अस्वीकृत फ्लैंग्ड, अपंजीकृत जियो टैंग्ड संपत्ति आदि के संबंध में जाँच कर सकते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ता डी जी एन ओ जी ए एस तथा एम एस ई (अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत) की सूची को देख सकते हैं।

24. खंड स्तर पर उपलब्ध विभिन्न भुवन एम आई एस रिपोर्टे कौन - कौनसी हैं ?

उत्तर: खंड स्तर पर उपयोगकर्ता जिला कार्य-निष्पादन के संबंध में कुल, टू बी मॉडरेटेड, मॉडरेट, स्वीकृत, अस्वीकृत, फ्लैंग्ड, अपंजीकृत जियो टैंग्ड संपत्ति आदि के सम्बंध जांच कर सकते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ता एम एस ई (अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत) की सूची को देख सकते हैं।

25. जिला स्तर पर उपलब्ध विभिन्न भुवन एम आई एस रिपोर्टे कौन - कौनसी हैं ?

उत्तर: जिला स्तर पर उपयोगकर्ता जिला कार्य निष्पादन के सम्बंध में कुल, टू बी मॉडरेटेड, मॉडरेट, स्वीकृत, अस्वीकृत, फ्लैंग्ड, अपंजीकृत, जियो टैंगड् संपत्ति आदि के सम्बंध में जांच कर सकते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ता जी ए एस, एम एस ई (अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत) की सूची को देख सकते हैं।

26. अप्राधिकृत उपयोगकर्ता किसे कहते हैं?

उत्तर: मोबाईल एप्लिकेशन के वर्शन 1 में पंजीकृत लेखा के प्राधिकरण के बिना ही जियो टैग अपलोडिंग की अनुमित देता हैं । ऐसी स्थितियों में संपत्ति की गुणवत्ता पर पूरी तरह से आधारित होता हैं एम एस ई ने जियो टैग को अनुमोदित किया है यद्यपि, जियो मनरेगा एप्लिकेशन के वर्शन 2 में एम एस ई के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे उसका पंजीयन करें तथा डाऊनलोडिंग डाटा के लिए सत्यापित करें । एम एस ई उपयोगकर्ता के सभी जियो टैग्ज जिनका एकाउन्ट प्राधिकृत नहीं किया गया है उन्हें, आधुनिकता के अंतर्गत रखा गया हैं । वे अकाउन्टस् जिन्हें जी ए एस द्वारा अनुमोदित किया जाना है उन्हें अप्राधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में माना जाए ।

27. एस जी एन ओ कौन हैं ?


उत्तर: राज्य में जियो मनरेगा कार्यक्रम को समन्वित, और कार्यन्वयन को मॉनिटर करने हेतु राज्य जी आई एस नोडल अधिकारी (एस जी एन ओ) को नियुक्त किया गया है ।

28. डी जी एन ओ कौन हैं?

उत्तर: जियो मनरेगा के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने हेतु जिला स्तर पर जिला जी आई एस नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं।

29. जी ए एस कौन है ?

उत्तर: राज्य द्वारा पी आई एस संपत्ति पर्यवेक्षक की नियुक्ति खंड स्तर पर की जाती है जो एम एस ई के द्वारा प्रविष्ट डाटा के मान्यकरण हेतु जिम्मेदार होता हैं।



30. एम एस ई कौन हैं ?

उत्तर: मनरेगा स्थानिक गणनाकार वह अधिकारी है जिसकी नियुक्ति ग्राम में की जाती है तथा वह जियो मनरेगा एंड्रायड मोबाईल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए दो चित्रों के साथ - साथ महात्मा गांधी नरेगा के जी पी एस स्थान को कैप्चर करने हेतु जिम्मेदार होता हैं। एम एस ई ग्राम रोजगार सहायक (जी आर एस), तकनीकी सहायक या कोई अन्य व्यक्ति जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया हो, हो सकता हैं। जियो मनरेगा में एम एस ई वह प्राधिकारी है जिसे फोटो कैपचर एवं मनरेगा संपत्ति की जियो टैगिंग का कार्य सौंपा गया है।



31. जियो मनरेगा मोबाईल एप्लिकेशन को मैं कहां से संस्थापित कर सकता हूँ ?

उत्तर: मोबाईल ब्राऊजर पर यू आर एल https://bhuvan3.nrsc.gov.in/bhuvanapp/ bhuvanapp_nrega.php में की या फिर नवीन लिंक के लिए होम पेज https://mord.geomgnrega.in पर विजिट करें । मोबाईल एप्लिकेशन (.apk) फाईल डाउन लोड फोल्डर में डाउन लोड़ किया जाता हैं । स्टार्ट इंस्टालिंग हेतु फाईल को क्लिक करें । उपयोगकर्ता को एंड्रायड की सुरक्षा सेटिंग में अज्ञात स्रोत ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता है ।

32. क्या जियो मनरेगा एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं ?

उत्तरः जी नहीं, आपको मोबाईल ब्राऊजर http://bhuvan3.nrsc.gov.in/vhavanapp/ bhuvanapp_nrega.php पर यू आर एल में कियिंग करते हुए ऐप को डाऊन लोड करने की आवश्यकता है ।

33. ऐप्पल एवं विंडोज उपकरणों के लिए क्या मोबाईल ऐप उपलब्ध है ?

उत्तर: जी नहीं, वर्तमान में एप्लिकेशन मात्र एंड्रायड प्लेटफार्म के लिए ही उपलब्ध हैं।

34. एंड्रायड उपकरण के लिए कौनसे न्यूनतम विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है ?

उत्तर: एंड्रायड 4.0 या उससे ऊपर, 2 जी बी रैम या ऊपर, 8 जी बी स्थानीय भंडारण या उससे ऊपर, जी पी एस सेन्सर विथ ए - जी पी एस सुविधा, कंपास सेन्सर, 2 जी / 3 जी / 4 जी एवं वाई फाई सुविधा।

35. यदि मेरे मोबाईल पर भंडारण की क्षमता अपर्याप्त हो तो मुझे क्या करना चाहिए?

स्थानीय बड़ी क्षमता वाले मोबाईल के साथ इसे बदल दे या फिर अन्य एप्लिकेशनों को हटाते हुए स्थानीय भंडारण में जगह बनाए ।

36. यदि मुझे अपने मोबाइल को बदलना पड़े तो मुझे क्या करना चाहिए ?

उत्तर: जी ए एस से अनुरोध करें कि अपने पुराने मोबाईल के साथ आपके पंजीकरण को रद्द करें तथा नये मोबाईल का उपयोग करते हुए पंजीकरण करवायें ।

37. यदि मेरा मोबाईल गुम / चोरी हो गया हो तो क्या करना चाहिए?

उत्तर: अपने पंजीकरण को रद्द करने के लिए जी ए एस से अनुरोध करें तथा नये मोबाईल में भुवन जियो मनरेगा मोबाईल ऐप को इंस्टॉल करें तथा जी पी पुन: के लिए पंजीकरण करें ।

38. क्या मैं 3 जी रहित मोबाईल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता हूँ ?

उत्तर: जी हाँ, आप 2 जी या 4 जी या इंटरनेट सुविधा के साथ वाई - फाई का उपयोग कर सकते हैं।

39. क्या मोबाईल एप्लिकेशन 2 जी / 3 जी / 4 जी के कार्य कर सकता हैं ?

उत्तर: जी हाँ, संपत्ति को जियो टैंग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं हैं परन्तु कैपचर जियो टैंग डाटा को भेजने के लिए इसकी आवश्यकता हैं। आप वाई फाई स्विधा के द्वारा होम या ऑफिस में ब्रॉडबैंड सेवा कनेक्ट कर सकते हैं।

40. राज्य जी आई एस नोडल अधिकारी (एस जी एन ओ) को कैसे पंजीकृत / अनुमोदित किया जा सकता है ?

उत्तर: भुवन पोर्टल में उपभोक्ता का पंजीयन होना आवश्यक है । पंजीयन के बाद , भुवन उपभोक्ता का नाम, पंजीबद्ध ई-मेल आई डी एवं (team@geomgnrega.in) के साथ भुवन से संकेत (पीडीएफ फाईल जैसा) अनुमोदन के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता के साथ साझा करना आवश्यक है ।

41. जिले के जी आई एस नोडल अधिकारी (डी जी एन ओ) को कैसे पंजीयन / अनुमोदित किया जा सकता है ?

उत्तर: भुवन पोर्टल में उपभोक्ता का पंजीयन होना आवश्यक है । पंजीयन के बाद, भुवन उपभोक्ता का नाम एवं पंजीकृत ई-मेल, आई डी के अनुमोदन के लिए संबंधित एस जी एन ओ से साझा करना आवश्यक है ।

42. जी आई एस संपत्ति पर्यवेक्षक (को कैसे पंजीकृत /अनुमोदित किया जा सकता हैं ?)

उत्तर: भुवन पोर्टल में उपभोक्ता का पंजीयन होना आवश्यक है । पंजियन के बाद , भुवन उपभोक्ता का नाम एवं पंजीबद्ध ई-मेल, आई डी के अनुमोदन के लिए एस जी एन ओ से संबंधित से साझा करना आवश्यक है ।

43. एम एस ई को कैसे पंजीकृत किया जा सकता हैं ?

उत्तर: एम एस ई को जियो मनरेगा मोबाइल उपकरण को इंस्टॉल करें , प्रोफाइल को भरें एवं रजिस्टर बटन को दबाए । जी ए एस के अनुमोदन के लिए यह उपलब्ध होगा ।

44. पंजीयन के निरस्तीकरण का क्या अर्थ है ?

उत्तरः जी ए एस के अनुमोदन करने से पहले एम एस ई आपका पंजीयन निरस्तीकरण कर सकता है । एम एस ई के पंजीयन जब जी ए एस अनुमोदित करना, तब ही जी ए एस पंजीयन को निरस्तीकरण कर सकता है ।

45. क्या मोबाइल साइट के माध्यम से एक एम एस ई को पंजीयन किया जा सकता है ?

उत्तर: हाँ, मोबाइल उपकरण के द्वारा ही एम एस ई का पंजीयन हो सकता है । जी ए एस द्वारा पंजीयन करना आवश्यक है ।

46. एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए उसी एम एस ई को कैसे पंजीकृत किया जा सकता है ?

उत्तरः मोबाइल ऐप के माध्यम एक पंचायत को एम एस ई पंजीकृत कर सकता है । पंजीयन मॉड्यूल के माध्यम से जी ए एस द्वारा एम एस ई के एक से अधिक पंचायतों को निर्धारित किया जा सकता है ।

47. क्या एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक एम एस ई पंजीयन हो सकता है?

उत्तर: जी हाँ, यह संभव है।

48. पंजीकृत एम एस ई को कौन हटा सकता है / निष्क्रिय कर सकता है ?

उत्तर: समरुपी जी ए एस के द्वारा एम एस ई को हटा सकता है / निष्क्रिय कर सकता है ।

49. एम एस ई के आबंटित ग्राम पंचायत को कौन बदल सकता है ?

उत्तर: एम एस ई के ग्राम पंचायत को जी ए एस पुन: आबंटित सकता है / जोड़ सकता है ।

50. स्थानांतरण के बाद भी क्या मैं जियो मनरेगा मोबाइल उपकरण का उपयोग कर सकता हूँ ?

उत्तर: अन्य ब्लॉक या जिला के लिए एम एस ई के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में इसे रख सकते हैं । पूर्व जी पी से आपको अपना पंजीयन रद्ध करना होगा एवं फिर पंजीयन कर, नए जी ए एस से अनुमोदन ले और जियो टैगिंग के लिए डेटा को डाउनलोड करें ।

51. मोबाइल ऐप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में सभी संपत्ति को कैसे प्रदर्शित करें ?

उत्तर: सभी संपत्ति को डिसप्ले करने के लिए स्पेसबार का उपयोग करें।

52. एक संपत्ति के लिए मैं कितने चित्रों को चित्रित कर सकता हूँ ?

उत्तर: प्रत्येक संपत्ति के लिए दो चित्र आवश्यक रूप से लिए जा सकते हैं। एक संपत्ति के लिए एक से अधिक चित्र नहीं लिया जा सकता।

53. जी पी एस एक्यूरेसी के लिए क्या आवश्यक है ?

उत्तर: 'हाई एक्यूरेसी' मोड को स्वीच ऑन करें

सर्वोत्तम सिगनल को प्राप्त करने के लिए , सामान्य से अधिक थोड़ी बैटरी का उपयोग करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए । यह एक आवश्यक बलिदान है, और आप इसे हमेशा उलट सकते हैं जब आपको जी पी एस का उपयोग करना हो । इसे सक्षम बनाना आसान है ; केवल कुछ स्टेप्स का अनुगमन करें और आप सीख जाएंगे ।

एंड्रायड की सैटिंग्स और टैप लोकेशन सर्विसेस खुला हो । आपकी स्क्रीन के दाहिने हाथ के ऊपर टोगल करने के लिए हमें सक्षम होना चाहिए । यह हरा एवं दाहिना बटन होना चाहिए ।

अभी लोकेशन के अंतर्गत पहल वर्ग मोड में होना चाहिए, उसे टैप करें एवं सुनिश्चित करें कि यह हाई एक्यूरेसी में है। आपके लोकेशन का आंकलन करने के लिए आपके जी पी एस के साथ-साथ आपके वाई-फाई एवं मोबाइल नेटवर्क यह उपयोग करता है। यह अधिक बैटरी का उपयोग करेगा, पर आपको सबसे अच्छा संभव एक्यूरेट लोकेशन देने के लिए यह सभी उपलब्ध पद्धतियों का उपयोग करेगा।

जी पी सिगनल को सक्रिय रखें

जब हम एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाते हैं तब हमें एक मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है वह है बैटरी को बचाने के लिए जी पी एस बंद हो जाता है। उदाहरण के रुप में यदि आप नेविगेट करते हैं एवं नये मेसैज को देखना चाहते हैं, तो जी पी एस बंद हो सकता है।

यद्यपि, आप जी पी एस सिगनल को सिक्रय रख सकते हैं । ऐसा करने के लिए आपको एक जी पी एस ऐप को इनस्टॉल करना होगा। मेरा सुझाव जुड़ा हुआ जी पी एस का है । यह साधारण ऐप है एवं अपना काम करता है । यह बात ध्यान में रखना कि ऐसा करने से बैटरी की उम्र कम हो जाएगी । इस लिंक का अनुगमन करें । htts://play.google.com/store/apps/details?id=org. bruxo.gpsconnected

यह देखे कि आपको जी पी एस का मुद्दा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से संबंधित है

जी पी एस एसेंशियल्स, एक फ्री एनड्रायड उपकरण, से आप जान सकते हैं कि खराब जी पी एस सिगनल का कारण एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का मुद्दा है या नहीं । जी पी एस एसेंशियल्स मैन मेन्यू में, सेटेलाइट को टेप करें, इसके बाद यह देखे पृथ्वी के साथ फोन जुड़ा हो । सॉफ्टवेयर इस प्रकार है : http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mictale.gpsessentials &hl=en

यदि कोई भी सेटेलाइट दिखाई नहीं देता है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि मेटालिक ऑबजेक्ट के हस्तक्षेप, कमरा बंद होना, आसमान में बादल, स्मार्टफोन कैस, या आपका जी पी एस सॉफ्टवेयर सभी तरह काम नहीं कर रहा है। यदि सेटेलाइट उपस्थित है, पर आपका जी पी एस समस्या दे रहा है,तो यह सॉफ्टवेयर का मृद्दा है।

अपने जी पी एस डेटा को रिफ्रेश करें

कई बार निश्चित जी पी एस सेटेलाइट पर एक डिवाइस अटक जाता है , भले ही वे रेंज में न हो , अर्थात् यह सही रूप से काम नहीं करेगा । इसे जोड़ने के लिए , आप एक ऐप का उपयोग कर सकते हैं जैसे आपके जी पी एस डेटा दोषमुक्त करने के लिए जी पी एस एवं टूलबॉक्स एवं स्क्रेच से सेटेलाइटों को जोड़ना शुरू करें । लिंक इस प्रकार है : http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mictale.gpsessentials &hl=en

ऐप में, स्क्रीन पर कहीं भी टैप करें, इसके बाद मेन्यू आइकन को टैप करें एवं मैनेज A-GPS स्टेट को हिट करें। रिसेट को टैप करें, और फिर यह जब समाप्त हो जाए तो फिर वापस Manage A-GPS State मैन्यू पर जाए और डाउनलोड पर टैप करें। आपका जी पी एस डेटा अब शायद रिफ्रोश हो चुका है, और यदि यह काम करना शुरु कर देता है तो इस प्रक्रिया को फिर से दोहराए।

यदि उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा यह काम नहीं करता है तो आपको अन्य जी पी एस एनड्रायड फोन का उपयोग करना चाहिए ।

54. जी पी एस को लॉक करने के बाद किस सीमा तक मैं चित्र ले सकता हूँ ?

आप कैमरा में संपूर्ण संपत्ति को कवर कर सकते हैं । पहला चित्र कार्य या संपत्ति की सीमा का प्रतिनिधित्व करे एवं दूसरा चित्र कार्य की प्रबलता का प्रदर्शन करे।

55. कौन-कौन से तरीके हैं जिसमें एक संपत्ति को जियो-टैग में अपलोड किया जा सकता है ?

केवल एक संपत्ति को जियो-टैंग करने के लिए उपभोक्ता मोबाइल ऐप में उपलब्ध फीचर का उपयोग करें।

56. एक ही समय में क्या में दो मोबाइल का उपयोग कर सकता हूँ ?

हाँ, आप कर सकते हैं पर यह निश्चित कर ले कि आप दोनों मोबाइल में एक जैसी जियो-टैगिंग नहीं कर रहे हैं।

57. यदि मुझे 'प्लीज वैट.....जी पी एस फेचिंग लेट-लोन' का अलर्ट मिलता है तो मुझे क्या करना चाहिए ?

एम एम ई को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एनड्रायड सेटिंग में लोकेशन स्वीच ऑन हो , मोबाइल ऐप को हटा दे यदि यह बैकग्राउंड में चल रहा है और मोबाइल ऐप को रिस्टार्ट करें ।

58. क्या होगा अगर डेटा अपलोड करते समय संचार व्यवस्था में खराबी आ जाए ?

भुवन सर्वर से जवाब ग्रहण करने के बाद ही मोबाइल ऐप मैसेज 'डेटा सेंट सक्सेसफुली' (डेटा सफलतापूर्वक जा चुका है) । यदि

संचार व्यवस्था में कहीं खराबी आती है तो डेटा अपने आप 'बाद में भेजने' का ऑपशन दिखा देगा और एम एस ई इसे फिर से अपलोड कर सकता है ।

59. 'रीसेट कॉनफिगरेशन' का क्या ऑपशन है ?

उत्तर: सेंड लेटर ऑपशन में किसी भी डेटा के नुकसान के बिना एम एस ई मोबाइल ऐप को रीसेट कर सकता है । केवल मोबाइल ऐप के लिए एम एस ई को पंजीकृत करना आवश्यक है । एम एस ई को यह मैसेज मिलता है , "आपको पहले ही इस पंचायत के लिए अनुमोदित कर लिया गया है । 'यह एम एस ई को मोबाइल ऐप में पंजीकृत करने के लिए अनुमित दे देगा एवं 'Sync Asset Data' पर क्लिक करने के द्वारा संपत्ति डाटा को डाउनलोड करने में लग जाएँ ।

60. यदि दो एम एस ई जियो-टैग एक जैसी संपत्ति होगी तो क्या होगा ?

उत्तर: 20 मिनटों में सर्वर के साथ एक संपत्ति जियो-टैंग माना जाएगा । इसके बाद अन्य एम एस ई के द्वारा जियो-टैंगिंग के लिए यह उपलब्ध नहीं होगा । यद्यपि 20 मिनटों में अन्य एम एस ई संपत्ति को जियो-टैंग करता है, तो मोडरेटर जी ए एस को किसी एक जियो-टैंग संपत्ति को बेकार करना होगा ।

61. क्या एक जी ए एस मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता है ?

उत्तर: नहीं, जी ए एस - एम एस ई नहीं बन सकता । आज कल एक अकेले उपभोक्ता के लिए एक से अधिक भूमिकाओं को स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।

62. मोबाइल एप्लिकेशन से क्या मैं संपत्ति की जानकारी को बदल सकता हूँ ?

उत्तर: नहीं, आप नहीं बदल सकते, यद्यपि संपत्ति को तभी हटाया जा सकता है जब विवरण गलत हो।

63. जियो मनरेगा में कौन सी भाषा में संपत्ति के विवरण प्रत्यक्ष होता हैं?

उत्तर: संपत्ति विवरण केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है।

64. मोबाईल एप्लिकेशन में पहचान की संपत्ति विवरण के लिए कौनसे डाटा उपलब्ध हैं ?

उत्तर: संपत्ति: 1. संपत्ति आई डी का चयन करने के लिए उपभोक्ता निम्नलिखित किसी भी एक ही को दबा सकता हैं, 2. संपत्ति का नाम, 3. कार्य कोड या 4. कार्य का नाम। संपत्ति का चयन करने पर मोबाईल ऐप अतिरिक्त जानकारी देगा जैसे 1. कार्य का प्रकार 2. कार्य का वर्ग, 3. जी टी स्टेटस् (जी ओ टैंगिंग स्टेटस) 4. जियो टैंग संपत्ति के अस्वीकृति के मामले में अस्वीकार का कारण देना।

65. यदि मैं नरेगा संपत्ति आई डी को सृजित करता हूँ पर यह मोबाईल एप्लिकेशन में उपलब्ध न हो मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर: कार्य समय के दौरान चार घंटे में या अधिकतम एक दिन में यह सिंस्ड हो जाता है एवं अधिकतम एक दिन तक नरेगा सॉफ्ट में यह लॉगिन होने के बाद मोबाईल पर उपलब्ध होने के लिए इसे अधिकतम एक दिन का समय लेगा नए डाटा के लिए एम एस ई को मोबाइल ऐप में संपत्ति डाटा को सिंस्ड करना आवश्यक हैं एवं डाटा को सिंस्ड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता हैं।

66. जियो - टैग को कौन नियंत्रित कर सकता हैं?

उत्तर: जी आई एस संपत्ति पर्यवेक्षक (जी ए एस) इसका नियंत्रण कर सकता हैं।

67. जियो टैग संपत्ति को कैसे मान्य / मॉडरेट किया जाता हैं ?

उत्तर: "Home tab at link http://mord.geomgnrega.in/support/home से जियो मनरेगा भुवन वैब पोर्टल में लॉगिंग करने के द्वारा जी ए एस उपभोक्ता के द्वारा एक जियो टैंग संपत्ति को मॉडरेट किया जा सकता हैं। मॉडरेशन ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 'Enable Moderation' icon पर क्लिक करें। किसी भी संपत्ति का चयन करने के लिए उस पर क्लिक करें। संपत्ति का चयन करने के बाद चित्र के साथ एक पोप अप जियो टैंग संपत्ति की जानकारी डिसप्ले करेगा। यहाँ से संपत्ति को ग्रहण, अस्वीकृत या फ्लेग किया जा सकता हैं।

68. यदि एम एस ई द्वारा गलत संपत्ति का चयन किया गया तो क्या करना चाहिए ?

उत्तर: ''रिप्रेश'' आईकन को क्लिक करें और सही संपत्ति का चयन करें।

69. 'एक संपत्ति के अस्वीकार' करने का तात्पर्य क्या है?

उत्तर: http://mord.geonrega.in/support/home में लॉग-इन करने के द्वारा एम एस ई द्वारा, कैपचर किया गया एक संपत्ति का एक जियो - टैग विवरण को संबंधित जी ए एस द्वारा संचालित किया जा सकता हैं। एम एस ई द्वारा कैप्चर किया गया विवरण यदि गलत होता है, तो जी ए एस को संपत्ति को रद्द कर देना चाहिए। सही जियो टैगिंग करने के लिए ऐसे अस्वीकृत संपत्ति पीछे उपलब्ध मिलेंगी।


70. जियो टैग संपत्ति को कैसे रह किया जा सकता है ?

उत्तर: http://bhuvan.mrsc.gov.in/governance/mgnrega में लॉगिंग करने के द्वारा एक संबंधित जी ए एस एक जियो टैंग संपत्ति को संचालित किया जा सकता है । मॉडरेशन ऑपरेशन को पूरा करने के लिए संपत्ति को संचालित करने के लिए 'Enable moderation' आइकन पर क्लिक करें । संपत्ति का चयन करने के बाद, चित्रों के साथ एक पोप अप जियो टैंग की जानकारी को डिसप्ले करेगा । जियो टैंग मनरेगा सम्पत्तियों रद्द करने के लिए नीचे के पोप अप बटन के रद्द बटन पर क्लिक करें । रद्द बटन पर क्लिक करने के बाद 'रद्द का कारण' पूछने के लिए एक नया बॉक्स खुलेगा । रद्द के कारण पर एंटर दबाएं एवं रद्द बटन का चयन करें, संपत्ति सफलता से रद्द हो जाएगी ।

71. मोबाइल ऐप के साथ मुझे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। मैं अपनी शंकाओं का समाधान किससे करू ?


उत्तर: एक से अधिक साझेदारों के साथ एक प्रभावशाली परिचर्चा को बनाए रखने के लिए जियो मनरेगा में एक विशेष रूप से प्रबंधित ऑनलाइन ग्राहक सहायता सॉफ्टवेयर एवं हेल्पडेस्क सोल्युशन है। क्लाउड पर आधारित वैब पोर्टल साझीदारों के साथ चर्चाओं को प्रोत्साहित करता है यथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं जनता। कार्यान्वयन अधिकारी के द्वारा शिकायतों के विचार एवं संकल्प की अदला बदली के लिए एक टूल के रूप में ज्ञान को बांटने के लिए पोर्टल भी गतिशील ज्ञान कोष की भूमिका निभाता हैं। पोर्टल का एक विशिष्ट फीचर आधार व्यवस्था है जहाँ शिकायतें दर्ज की जा सकती है या कार्यन्वयन एजेंसियों द्वारा शंकाओं पर स्पष्टीकरण के अनुरोध रखे जाते हैं। पोर्टल के होमपेज से, होमपेज पर मार्गदर्शन के लिए लिंक 'न्यू सपोर्ट टिकट के द्वारा एक नया समर्थन टिकट को लागू किया जा सकता है।

चित्र: न्यू सपोर्ट टिकट को लागू करना।




उपयोगकर्ता को इस पेज में जाना होगा http://mord.geomgnrega.in/support/ tickets/new इस क्षेत्र में भरने के द्वारा एक न्यू सपोर्ट टिकट लागू होगा

चित्र: न्यू सपोर्ट टिकट को लागू करना।



विषय लाइन को भरने के बाद यह देखा जाएगा कि वैबपेज के दाहिनी तरफ वैबसाइट पर संबंधित लेखों का एक विवरण दिखाई देगा । कई बार, इन लेखों से उपभोक्ता उनके प्रश्नों के जवाब को अपने आप ढूँढने में सक्षम होंगे एक समर्थन अनुरोध को लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

चित्र: न्यू सपोर्ट टिकट को लागू करना।



72. सपोर्ट डेस्क से प्राप्त किया गया टिकट नम्बर का क्या उपयोग है ?

उत्तर: एक विशिष्ट पहचान नम्बर के साथ उठाया गया समर्थन अनुरोध को टैंग किया जाएगा एवं टिकट के लागू होने पर वहीं उपभोक्ता को पोर्टल पर खुद ब खुद दिख जाएगा टिकट को लागू करने के लिए उपयोग किए गए ई-मेल आई डी पर उपभोक्ता को वही आई डी भेज दिया जाएगा । जियो मनरेगा विभाग के साथ भविष्य में किसी भी प्रश्न के लिए उपभोक्ता इस आई डी का उपयोग कर सकता है ।

73. मेरे पास एक भुवन रेजिस्ट्रेशन है। mord.geomgnrega.in के लिए क्या मुझे अलग से पंजीयन करना होगा ?

उत्तर: ये दोनों अलग-अलग मंच हैं और इनके लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है पोर्टल में mord.geomgnrega.in portal में उपभोक्ता रजिस्टर कर सकता है एवं उनके स्टेटस के साथ उनके द्वारा दिए गए सभी टिकट का स्नैपशॉट ले ।

74. यदि सपोर्ट डेस्क से प्राप्त किए गए उत्तर में मेरी समस्या का समाधान ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए ?

उत्तर: जियो मनरेगा विभाग के कर्मचारी उपभोक्ता के प्रश्न का उत्तर सीधा-सीधा देता है एवं यदि किसी भी कारण वश उपभोक्ता उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो वे फिर से जवाब दे सकते हैं / टिकट को फिर से खोल सकते हैं जब तक उनको अपेक्षित जवाब नहीं मिल जाते ।





सी-गार्ड

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन आई आर डी एवं पी आर) ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030